Total Pages-44

CODE NO.
Not to be filled by the Candidate
(अभ्यर्थी द्वारा नहीं भरा जाये)

Time : 3 Hours | Maximum Marks : 100

महत्वपूर्ण निर्देश / IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. अपेक्षित विवरण केवल "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" के ऊपर दिये गये फ्लेप पर ही लिखें, अन्य किसी स्थान पर नहीं।
2. "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" (रफ कार्य के पृष्ठ सहित) के अन्दर कहीं पर भी कोई पहचान चिन्ह यथा, रोल नम्बर, नाम, पता, मोबाईल नम्बर / टेलीफोन नम्बर, देवताओं के नाम अथवा प्रश्न के उत्तर से असम्बधित कोई भी शब्द, वाक्य एवं अंक लिखे जाने या अंकित किये जाने को अनुचित साधनों का उपयोग माना जायेगा। ऐसा पाये जाने पर अभ्यर्थी की सम्पूर्ण परीक्षा में अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
3. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर व्यवधान उत्पन्न करता है या वीक्षण स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करता है अथवा छलनापूर्ण कार्य करता है तो वह स्वयं ही अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा। वह राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के तहत दाण्डिक कार्यवाही हेतु भी उत्तरदायी माना जायेगा।
4. प्रश्नों की संख्या और उनके अंक "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" में अंकित किये गये हैं।
5. प्रश्नों के उत्तर निरपवाद रूप से "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" में प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिये गये स्थान पर ही लिखें, कहीं और नहीं, अन्यथा ऐसे उत्तर का मूल्यांकन परीक्षक द्वारा नहीं किया जायेगा।
6. अभ्यर्थी उत्तर निर्धारित जगह में ही लिखे। किसी भी परिस्थिति में पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं दी जावेगी।
7. फ्लेप पर "**उत्तर का माध्यम**" के चौखाने में भाषा हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से एक विकल्प को ✓ द्वारा चिन्हित करें तथा उत्तर उसी चयनित भाषा में दीजिये।
8. किसी प्रश्न में अंग्रेजी व हिन्दी भाषान्तर में कोई अन्तर हो तो अंग्रेजी भाषान्तर को प्रमाणिक माना जाये।
9. यदि "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" कहीं से कटी–फटी या अमुद्रित है, तो शीघ्रताशीघ्र वीक्षक से कह कर उसे बदलवा लें या वीक्षक के ध्यान में ला दें, अन्यथा उसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
10. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र के साथ प्रवेश करना सर्वथा वर्जित है।

•••••••••

1. Write the required particulars only on the flap provided on the top of "Question Paper-cum-Answer Book"; and not at any other place.
2. Do not write any mark of identity inside the "Question Paper-cum-Answer Book" (including paper for rough work) i.e. Roll No., Name, Address, Mobile No./Telephone No., Name of God etc. or any irrelevant word other than the answer of question. Such act will be treated as unfair means. In such a case his candidature shall be rejected for the entire examination.
3. A candidate found creating disturbance at the examination centre or misbehaving with Invigilating Staff or cheating will render him liable for disqualification. He shall also be liable for penal action under The Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 1992.
4. The number of questions and their marks are indicated in the "Question Paper-cum-Answer Book".
5. The answers of the questions in "Question Paper-Cum Answer Booklet" should strictly be written in the space provided below question and not elsewhere, otherwise, such answer shall not be assessed by the examiner.
6. The candidate should write the answers in the provided space. No Supplementary Answer Book shall be provided in any case.
7. Specify an option of language Hindi or English, by ticking✓ in box of **"Medium of Answer"** on the flap and answer in the same opted language.
8. In any question, if there is any discrepancy in English & Hindi versions, the English version is to be treated as standard.
9. In case the "Question Paper-cum-Answer Book" is torn or not printed properly, bring it to the notice of Invigilator for change or direction, at earliest otherwise the candidates will be liable for that.
10. Possession of any type of electronic device is strictly prohibited in the Examination Hall.

•••••••••

www.LinkingLaws.com

Note: Attempt all questions. Marks of each question are mentioned against the question.

नोट: समस्त प्रश्नो के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अक उसके समक्ष अकित किये गये हैं।

Question No.1 **[08 Marks]**

Translate the following sentences into English:

नीचे दिये गये वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए:

(अ) **[2 Marks]**

वृहद विचार विमर्श के पश्चात अदालतों की अवमानना अधिनियम, 1971 अस्तित्व में आया और इसने अधिनियम, 1952 को प्रतिस्थापित किया। इसमें न्यायिक कार्यवाही पर टिप्पणी एवं समाचार लेखन के लिए कुछ अपवाद व दिशानिर्देश भी दिये गये जिनका उपयोग करने पर अधिनियम के विभिन्न प्रावधान लागू नहीं होंगे।

www.LinkingLaws.com

(घ) **[2 Marks]**

झूठे शपथपत्र को भी सकारात्मक अभिकथन माना जाता है, यह एक निश्चित और विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है और इसका उपयोग संभवतः अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। यदि अदालत में पेश किया गया कोई भी शपथपत्र झूठा है तो इसे अदालती कार्यवाही और न्यायिक प्रशासन में बाधा तथा अनुचित हस्तक्षेप माना जाएगा, चूंकि न्यायाधीश झूठे शपथपत्र के आधार पर गलत निर्णय/आदेश दे सकता है।

www.LinkingLaws.com

(स) **[2 Marks]**

संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी बालकों के लिए, उनके धर्म को विचार में लिए बिना, संरक्षकता और अभिरक्षा के प्रश्नों को विनियमित करने सम्बन्धि एक धर्मनिरपेक्ष विधि है। अधिनियम एक पूर्ण संहिता है जिसमें संरक्षकों के अधिकारों और बाध्यताओं, उनको हटाने या प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया और उनके द्वारा किए गए कार्यों की दशा में, उपचारों को अधिकथित किया गया है।

www.LinkingLaws.com

(द) **[2 Marks]**

उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को यह मत व्यक्त करते हुए कायम रखा कि उच्चतर न्यायालयों को अधिवक्ता के न्यायालय में उपसंजात होने के अधिकार को विनियमित करने की पर्यवेक्षणात्मक शक्ति है और यहां तक कि अधिवक्ता अधिनियम की धारा 34(1) के अधीन विरचित किसी नियम के अभाव में भी न्यायालय किसी अधिवक्ता को एक विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए न्यायालय में उपसंजात होने के लिए निर्बन्धित कर सकता है।

www.LinkingLaws.com

Question No.2 **[08 Marks]**

Translate the following sentences into Hindi:

नीचे दिये गये वाक्यों का हिन्दी में अनुवाद कीजिए:

(A) **[2 Marks]**

The act of directing remand of an accused is thus held to be a judicial function and the challenge to the order of remand is not to be entertained in a habeas corpus petition. The first question posed by the High Court, thus, stands answered. The High Court, however, considered the matter from the standpoint whether the initial order of arrest itself was valid or not.

www.LinkingLaws.com

(B) **[2 Marks]**

In a case wherein the High Court has acquitted the accused of all charges, there is a double presumption in fevour of the accused, as the initial presumption of innocence is further reinforced by an acquittal by the High Court. However, interference is to be made only when there are compelling and substantial reasons to do so.

www.LinkingLaws.com

(C)

[2 Marks]

Apart from the gunshot injuries which caused the death, there were nine other injuries found on the body of deceased Mohan. Mohan sustained bruise on the left arm, left side of the chest; contusion and lacerated wound in the middle of the head and incised wound on the left side of the chin.

www.LinkingLaws.com

(D) **[2 Marks]**

Our conclusion in respect of some parts of the Notification will not affect the Notifications as such. The part of the Notifications other than that which are dealt with by this judgment shall continue to be in force. We make it clear that the employers shall not be entitled to recover any amounts paid under the Notifications to the workmen.

www.LinkingLaws.com

Question No.3 **[08 Marks]**

Write the precis of the following passage in Hindi:
नीचे दिए गये लेखांश का हिन्दी में सार लिखिए:

भारत में दलबदल कानून के बावजूद दलीय निष्ठा और नैतिकता का परित्याग कर सत्ता हासिल करने के प्रकरणों को देखते हुए वर्ष 1985 में लागू हुए दलबदल कानून की प्रासंगिकता पर फिर चर्चा शुरू हो गई है। यहा समझने योग्य फर्क यह है कि जहां भारत में मजबूत दलबदल कानून के बावजूद सरकारो की अस्थिरता का दौर सामने आता है वहीं अमरीका और ब्रिटेन जैसे देशों में ऐसी घटनाऐं होती भी हैं तो सरकारों की स्थिरता को खतरा नहीं होता। हमारे यहां दलबदल कानून की जरूरत सबसे पहले उस वक्त महसूस हुई जब 1967 में अलग अलग राज्यों में कई विधायकों ने अपनी पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया और सरकारों को अस्थिरता का सामना करना पड़ा। देखा जाए तो भारत उन देशों में से एक है जिसने दलबदल कानून को अपेक्षाकृत मजबूती से लागू किया है। अमरीका और ब्रिटेन दोनों ही देशों की संसदीय प्रणाली का भारत पर बड़ा असर है। वह इसलिए भी कि यहां इन विधायिका के सदस्यों को सदन में विचार प्रकट करने व वोट करने के अधिकारों की आजादी है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में सदन में सभी सदस्यों को खुलकर विचार प्रकट करने का अधिकार है, उसी तरह ब्रिटेन के 1969 के विधेयक में अनुच्छेद 9 व अमरीका के संविधान के पहले संशोधन में भी सदन के सदस्यों को यह अधिकार प्राप्त है। इस संविधानिक अधिकार के कारण दोनों ही देशों मे पार्टी के खिलाफ जाने को लेकर कोई कठोर कानूनी प्रावधान नहीं है। ऐसे मसलों को अमूमन पार्टी के आंतरिक मामलों की तरह ही सुलझाया जाता है।

ऐसी परिस्थितियों में ज्यादा जरूरी यह है कि दलबदल कानून चाहे कैसा भी हो, लेकिन जनता की भलाई के लिए ऐसी व्यवस्था किया जाना जरूरी है जिसमें सरकारों की स्थिरता बरकरार रहे।

www.LinkingLaws.com

Question No.4 **[08 Marks]**

Write the precis of the following passage in English:

नीचे दिए गये लेखांश का अंग्रेजी में सार लिखिए:

www.LinkingLaws.com

If a criminal court is to be an effective instrument in dispensing justice, the presiding judge must cease to be a spectator and a mere recording machine by becoming a participant in the trial evincing intelligence, active interest and elicit all relevant materials necessary for reaching the correct conclusion, to find out the truth, and administer justice with fairness and impartiality both the parties and to the community it serves. Courts administering criminal justice cannot turn a blind eye to vexatious or oppressive conduct that has occurred in relation to proceedings, even if a fair trial is still possible, except at the risk of undermining the fair name and standing of judges as impartial and independent adjudicators. The courts are expected to perform their duties and functions effectively and true to the spirit with which the court are sacredly entrusted with the dignity and authority and an alert judge actively participating in court proceedings with a firm grip on oars enables the trial smoothly to reach at truth.

The presiding officers of court have to monitor the proceedings in aid of justice in a manner that something which is not relevant, is not unnecessarily brought into record. Even if the prosecutor is remiss in some ways, it can control the proceedings effectively so that ultimate objective i.e., truth is arrived at. This became more necessary where the court has reason to believe that the prosecuting agency or the prosecutor in not acting in the requisite manner. The court cannot afford to be wishfully or pretend to be blissfully ignorant or oblivious to such serious pitfalls or dereliction of duty on the part of prosecuting agency. The prosecutor who does not act fairly and acts more like a counsel for the defence is a liability to the fair judicial system, and courts could not also play into the hands of such prosecuting agency showing indifference or adopting an attitude of total aloofness.

www.LinkingLaws.com

QuestionNo.5 **[08 Marks]**

निम्न में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में हिन्दी में निबन्ध लिखिए:

(1) लोक अदालत : न किसी की जीत न किसी की हार

(2) अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

(3) अभिव्यक्ति की आजादी : लोकतन्त्र का आधार

(4) न्याय में देरी : न्याय से वंचित

(5) प्रतिस्पर्धा का बढ़ता स्तर : युवाओं का हित या अहित

www.LinkingLaws.com

QuestionNo.6

[20 Marks]

An inspector of Rajasthan Police along with police party was on a routine patrolling in a village on 01.01.2020. A boy was coming from the opposite direction on a motorcycle. The inspector tried to stop the boy, who fires a gunshot, which hit a constable who died at the spot. Police somehow caught hold of the boy. The inspector searched the boy and found that he was carrying a packet containing 3 kg of opium in the jacket worn by him. Inspector carried out usual investigation at the spot regarding the offences of Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act, 1985 and Indian Penal Code, 1860. The body of the police constable was taken to the hospital and postmortem was conducted. After the completion of investigation, police filed charge sheet. During the course of trial, that boy stated his age to be 17 years and 6 months at the time of occurrence and claimed to be a juvenile. He produced a birth certificate issued by the Municipal Corporation in support of this claim.

1) Frame the charges assuming the trial was undertaken by the Children Court.

2) Write a Judgment of conviction keeping in view the provisions of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act, 1985 and Indian Penal Code, 1860.

3) What sentence should be imposed on the boy keeping in view the provisions of The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015?

प्रश्न संख्या 6

दिनांक 01.01.2020 को, राजस्थान पुलिस का एक निरीक्षक पुलिस पार्टी के साथ एक गांव में नियमित पेट्रोलिंग पर था। एक लड़का मोटरसाईकिल पर विपरीत दिशा से आ रहा था। निरीक्षक ने लड़के को रोकने का प्रयास किया जो बन्दूक से गोली चलाता है जो कांस्टेबल को लगती है जो मौके पर ही मर जाता है। पुलिस लड़के को कैसे भी पकड़ लेती है। निरीक्षक ने लड़के की तलाशी ली और पाया कि

www.LinkingLaws.com

वह उसके द्वारा पहने गये जैकिट में तीन किलो अफीम से भरा हुआ एक पैकिट ले जा रहा था। निरीक्षक ने मौके पर स्वापक औषधी एवं मनःप्रभावी अधिनियम, 1985 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अपराधों के सम्बन्ध में सामान्य अनुसंधान किया। पुलिस कांस्टेबल के शव को अस्पताल ले जाया गया एवं शवपरीक्षण किया गया। अनुसंधान पूर्ण होने पर पुलिस ने आरोप पत्र प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान, उस लड़के ने घटना के समय अपनी उम्र 17 वर्ष 6 माह होना कथन किया और किशोर होने का दावा किया। उसने अपने इस दावे के समर्थन में नगर परिषद द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया।

(1) यह मानते हुए आरोप विरचित कीजिए कि बालक न्यायालय के समक्ष विचारण किया गया।

(2) स्वापक औषधी एवं मनःप्रभावी अधिनियम, 1985 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए दोषसिद्धि का निर्णय लिखिए।

(3) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बालक पर क्या दण्ड अधिरोपित किया जाना चाहिए।

www.LinkingLaws.com

Question No.7 **[20 Marks]**

Nirmal Kaur was the owner of suit property, a residential house admeasuring 1000 Sq. Yards. Sunita was at the relevant points of time, a non-resident Indian living in United Kingdom. An agreement of sale dated 20.10.1978 was entered into between Nirmal Kaur represented by her husband & power of attorney holder Kartar Singh, the vendor, and Sunita represented by her husband & Power of Attorney holder Suresh, as the vendee. The material terms of said agreement were:

1) The vendor shall sell the suit property to the vendee for a consideration of Rs. 5,00,000/-;
2) As premises was in possession of a tenant, Nirmal Kaur was able to deliver vacant possession of only a small portion which was in her possession. If the vendor was able to get the tenant vacated and deliver vacant possession of entire premises than the sale price shall be Rs. 6,00,000/-;
3) A sum of Rs. 1,00,000/- was paid in cash as earnest money by the Power of Attorney holder of the vendee to the power of attorney holder of the vendor at the time of agreement to sell dated 20.10.1978;
4) The sale had to be completed by 20.12.1978 and the balance sale consideration shall be paid at the time of registration of sale deed;
5) The vendor had to deliver at the time of registration of the sale deed, her title deed, NOC & permission for sale from the Government authorities and other relevant document, if any;
6) If the vendor committed default, she had to pay double the amount of earnest money to the vendee and if the vendee committed default, the sum of Rs. 1,00,000/- paid as earnest money would stand forfeited;

This agreement was signed by 02 witnesses Vikas and Sanjay. The time for execution of sale deed was extended from time to time and lastly date of execution of sale deed was fixed as 01.07.1979. The sale deed was not executed on 01.07.1979.

www.LinkingLaws.com

Thereafter, the vendee files the suit on 01.01.1982 through her power of attorney Suresh inter alia narrating the fact that on 01.07.1979, she and the defendant went to the office of Sub-Registrar but suddenly defendant and her power of attorney went away. The plaintiff waited sufficiently and recorded her presence at the office of Sub-Registrar by filing an application. She further averred that the plaintiff was always ready and willing to perform her part of contract. The plaintiff prayed for specific performance of the agreement of sale dated 20.10.1978 or in the alternative recovery of Rs.1,00,000/- paid to the power of attorney of the defendant and Rs.1,00,000/- liquidated damage as per the terms of agreement, with interest and costs.

Plaintiff examined power of attorney Suresh, both the witnesses of the agreement dated 20.10.1978 and the official of the office of Sub-Registrar in her evidence.

Defendant contended that plaintiff was not having the balance sale consideration with her at the time of execution of sale deed and on that day plaintiff or her power of attorney holder did not turn up in the office of Sub-Registrar to execute the sale deed. But she has got her presence marked at the office of Sub-Registrar when the vendor and her power of attorney went away after waiting for sufficient time. She had brought the title deed, NOCs & permission from the Government departments and was ready with all the documents as per the term of agreement. So, the amount of Rs.1,00,000/- has been forfeited as per the terms of agreement. Time was the essence of the contract. The price of the house has increased many fold due to the commercial activities started adjacent to the suit property, so it will create hardship for the defendant if the sale deed is executed at the sale consideration as per agreement dated 20.10.1978 and that the suit was time barred.

Defendant examined her power of attorney and argued that plaintiff did not examine herself in evidence.

Frame issues and write a judgment.

www.LinkingLaws.com

प्रश्न संख्या 7

निर्मल कौर वादाग्रस्त सम्पत्ति, एक आवासीय मकान नपती 1000 वर्ग गज, की स्वामी थी। सुसंगत समय पर, सुनीता, एक गैर प्रवासी भारतीय, इंग्लैण्ड में रहती थी। विक्रेता निर्मल कौर जरिए प्रतिनिधि अपने पति और मुख्तयारनामा धारक करतार सिंह और क्रेता सुनीता जरिए प्रतिनिधि अपने पति और मुख्तयारनामा धारक सुरेश के मध्य दिनांक 20.10.1978 को एक विक्रय करार निष्पादित हुआ। उक्त करार की सारभूत शर्तें थीं:

(1) विक्रेता क्रेता को वादग्रस्त सम्पत्ति को रू. 5,00,000/– के प्रतिफल पर विक्रय करेगा;

(2) क्योंकि परिसर किराएदार के आधिपत्य में था, निर्मल कौर केवल एक छोटे भाग का, जो कि उसके आधिपत्य में था, का खाली आधिपत्य सुपुर्द करने हेतु सक्षम थी। यदि विक्रेता किराएदार से खाली करवाने में समर्थ होती है और सम्पूर्ण परिसर का खाली आधिपत्य सुपुर्द करती है तो विक्रेय मूल्य रू. 6,00,000/– होगा;

(3) विक्रय करार दिनांकित 20.10.1978 के समय, क्रेता के मुख्तयारनामा धारक द्वारा विक्रेता के मुख्तयारनामा धारक को नकद रू. 1,00,000/– की राशि बयाना/अग्रिम धन के रूप में भुगतान की गई;

(4) विक्रय को 20.12.1978 तक पूर्ण होना था और बकाया विक्रय प्रतिफल का भुगतान विक्रय पत्र के पंजीयन के समय किया जाएगा;

(5) विक्रय पत्र के पंजीयन के समय विक्रेता को उसका स्वत्व विलेख, अनापत्ति प्रमाण पत्र और सरकारी प्राधिकारीयों से विक्रय के लिए अनुज्ञा पत्र और अन्य सुसंगत दस्तावेज, यदि कोई हों, को सुपुर्द करना था;

(6) यदि विक्रेता ने चूक की, उसे अग्रिम बयाना की दुगनी राशि क्रेता को भुगतान करनी पड़ेगी और यदि क्रेता ने चूक की तो अग्रिम धन के रूप में भुगतान की गई रू. 1,00,000/– की राशि जब्त होगी।

यह करार दो साक्षीयों विकास और संजय द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। समय समय पर विक्रय पत्र निष्पादन का समय बढ़ाया गया था और अंत में विक्रय पत्र निष्पादन के लिए दिनांक 01.07.1979 निश्चित की गई थी। दिनांक 01.07.1979 को विक्रय पत्र निष्पादित नहीं हुआ था।

उसके पश्चात दिनांक 01.01.1982 को क्रेता जरिए मुख्तार सुरेश अन्य तथ्यों के साथ यह अंकित करते हुए वाद प्रस्तुत करती है कि दिनांक 01.07.1979 को वह और प्रतिवादी उप–पंजीयक के कार्यालय गये लेकिन अचानक प्रतिवादी और उसका मुख्तार चले गये। वादी ने पर्याप्त समय तक इंतजार किया और

www.LinkingLaws.com

उप–पंजियक के कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उसने आगे अभिकथन किया कि वादी संविदा के अपने भाग का पालन करने के लिए हमेशा तैयार और इच्छुक थी। वादी ने विक्रय करार दिनांकित 20.10.1978 के विनिर्दिष्ट पालन की प्रार्थना की और विकल्प में प्रतिवादी के मुख्तयार को भुगतान की गई रू. 1,00,000/– की वसूली और करार की शर्तों के अनुसार परिनिर्धारित नुकसान के रू. 1,00,000/– मय ब्याज और खर्चे के दिलाए जाने की प्रार्थना की।

वादी ने अपनी साक्ष्य में मुख्तार सुरेश, करार दिनांकित 20.10.1978 के दोनो साक्षीगण तथा उप–पंजियक कार्यालय के कर्मचारी को परिक्षित कराया।

प्रतिवादी ने यह कहते हुए विरोध किया कि विक्रय पत्र के निष्पादन के समय प्रतिवादी के पास बकाया विक्रय प्रतिफल नहीं था और उस दिन वादी या उसका मुख्तारनामा धारक उप–पंजियक के कार्यालय में विक्रय पत्र को निष्पादित करने नहीं आए। लेकिन उप–पंजीयक कार्यालय में उसने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी जब विक्रेता और उसका मुख्तार पर्याप्त समय तक इंतजार करने के बाद चले गये। वह स्वत्व विलेख, अनापत्ति प्रमाण पत्र और सरकारी विभागों से अनुज्ञा पत्र लाई थी और करार की शर्तों के अनुसार सभी दस्तावेज के साथ तैयार थी। इसलिए करार की शर्तों के अनुसार रू. 1,00,000/– की राशि जब्त की गई है। समय संविदा का सार था। वादग्रस्त सम्पत्ति के जुडवां व्यवसायिक गतिविधियां शुरू हो जाने से मकान की कीमत कई गुना बढ़ गई है इसलिए यह प्रतिवादी के लिए कठिनाई उत्पन्न करेगा यदि करार दिनांकित 20.10.1978 के अनुसार विक्रय प्रतिफल पर विक्रय पत्र निष्पादित होता है और वाद समयावधि बाधित है।

प्रतिवादी ने उसके मुख्तार को परीक्षित किया और तर्क दिया कि वादी ने स्वंय को साक्ष्य में परिक्षित नहीं कराया।

विवाद्यक विरचित कीजिए और निर्णय लिखिए।

www.LinkingLaws.com

QuestionNo.8

[10 Marks]

(I) "The exercise of powers by Governor under Article 161 of Constitution of India cannot suffer from inexplicable delay and it can be subjected to judicial review."

Elucidate the statement with reference to decision of Hon'ble Supreme Court in Criminal Appeal No. 833-834 of 2022, AG Perarivalan Vs. State, Through Superintendent of Police CBI/SIT/MMDA, Chennai, Tamil Nadu and Anr. Date of Judgment: May 18, 2022, AIR 2022 SC 2608.

OR

(II) "Judges especially should not use any words, spoken or written, that would undermine or shake the confidence of the survivor in the fairness or impartiality of the court."

Elucidate the statement and other guidelines dealing with bail applications, with reference to decision of Hon'ble Supreme Court in CRIMINAL APPEAL NO. 329 OF 2021 APARNA BHAT & ORS. Vs. STATE OF MADHYA PRADESH & ANR : AIR 2021 SC 1492

प्रश्न संख्या 8

(I) "भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अन्तर्गत राज्यपाल द्वारा शक्तियों का प्रयोग अकथनीय देरी से ग्रसित नहीं हो सकता और यह न्यायिक पुर्नविलोकन के अधीन हो सकता है"

इस कथन की "ए.जी. परेरीवलन बनाम राज्य जरिए पुलिस अधिक्षक सी.बी.आई. / एस.आई.टी. / एम.एम.डी.ए, चेन्नई, तमिलनाडू तथा एक अन्य, दाण्डिक अपील संख्या 833–834 सन 2022, निर्णय दिनांक 18 मई 2022 ए.आई.आर. 2022 सुप्रीम कोर्ट 2608 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में व्याख्या कीजिए।

अथवा

(II) "विशेष रूप से न्यायाधीशों को कोई शब्द, मौखिक या लिखित, जो उत्तरजीवी में न्यायालय की निष्पक्षता और औचित्यता के विश्वास को कम करता हो या हिला देता हो, प्रयुक्त नहीं करने चाहिऐ।"

www.LinkingLaws.com

इस कथन एवं जमानत आवेदन पत्रों पर विचार करते समय अन्य दिशानिर्देशों की "अपर्णा भट व अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य व एक अन्य, दाण्डिक अपील संख्या 329 सन 2021, ए.आई.आर. 2021 सुप्रीम कोर्ट 1492 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में व्याख्या कीजिए।

www.LinkingLaws.com

Question No. 9

[10 Marks]

(I) "Daughters shall have coparcenery rights irrespective of whether their father was alive when Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 came into force." With reference to decision of Hon'ble Supreme Court in Vineeta Sharma Vs. Rakesh Sharma, (2020) 9 SCC 1, elucidate the above statement along with other principles laid down in above judgment.

OR

(II) "Access to internet is a fundamental right."

Elucidate the statement with reference to decision of Hon'ble Supreme Court in Anuradha Bhasin Vs. Union of India, (2020) 3 SCC 637.

प्रश्न संख्या 9

(I) "पुत्रीयां सहदायकी अधिकार रखती हैं, इस पर ध्यान दिये बिना कि उनके पिता, जब हिन्दु उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 प्रभाव में आया, तब जीवित थे।"

उक्त कथन एवं उसमें प्रतिपादित अन्य सिद्धान्तों की व्याख्या, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा, (2020) 9 एस.सी.सी. 1, के संदर्भ में कीजिए।

अथवा

(II) "इन्टरनेट तक पहुंच एक मूलभूत अधिकार है" इस कथन की अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ, (2020) 3 एस.सी.सी. 637, में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में व्याख्या कीजिए।

www.LinkingLaws.com